



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125914

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 18647 वर्ष 2026

शैलेश उपाध्याय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: बलराम मिश्रा, शेष नारायण मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री के.के. गुप्ता के तर्कों को सुना।
2. यह ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से इस अनुरोध के साथ दायर की गई है कि माननीय न्यायालय इस आवेदन को स्वीकार करे और यह मुकदमा संख्या 2943/2025, मुकदमा अपराध सं. संख्या 966/2024, बी.एन.एस. की धारा 316(5), 318(2), 318(3), 318(4), 352, 351(3) के तहत थाना खलीलाबाद, ज़िला संत कबीर नगर विचारण न्यायालय में विचारण की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करे। ऐसा न होने पर आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक को प्रतिवादी/सूचनाकर्ता ने अपनी फर्म में अकाउंटेंट के तौर पर नियुक्त किया था। नियोक्ता/सूचनाकर्ता ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी जिसमें आरोप

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लगाया गया था कि आवेदक ने फर्म की 12,73,608 रुपये की रकम अपने निजी बैंक खाते में जमा करके उसका गबन किया था। यह तर्क दिया गया कि अकाउंटेंट और सूचनाकर्ता का कर्मचारी होने के नाते, आवेदक ने अपने नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार काम किया था और अपने निजी खाते में जमा की गई रकम का इस्तेमाल उसने अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया था। बल्कि, पूरा लेन-देन सूचनाकर्ता के कहने पर किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि बाद में वह रकम एक दूसरी बिज़नेस फर्म को स्थानान्तरित कर दी गई थी, जिसके साथ सूचनाकर्ता का व्यावसायिक लेन-देन था। अपनी बात के समर्थन में, अधिवक्ता ने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का हवाला दिया, जिससे पता चलता है कि आवेदक के व्यक्तिगत अकाउंट में जमा की गई रकम बाद में एक दूसरी फर्म के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई थी। आवेदक 31.3.2025 से जेल में है और उस पर आरोप तय किए जा चुके हैं। अधिवक्ता ने दलील दी कि अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो आवेदक न तो ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करेगा और न ही न्याय की प्रक्रिया से बचेगा, बल्कि वह विचारण की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेगा।

4. इसके उलट, ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदनका विरोध किया और कहा कि आवेदक ने अकाउंटेंट के तौर पर अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर फर्म के फंड का गलत इस्तेमाल किया। यह दलील दी गई कि उसने फर्म का पैसा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इधर-उधर किया। हालांकि, राज्य और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता आवेदक द्वारा पेश किए गए बैंक स्टेटमेंट को गलत नहीं ठहरा पाए। यह एक मानी हुई बात है कि आवेदक के बैंक अकाउंट में जमा की गई रकम बाद में कुछ फर्मों को ट्रांसफर कर दी गई थी। आवेदक की इस बात से साफ तौर पर इनकार नहीं किया गया है कि वे फर्म प्रतिवादी/सूचनाकर्ता से जुड़ी थीं या उनके साथ उनका बिज़नेस का लेन-देन था।

5. पक्षों के अधिवक्तागण के तर्कों को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री को अवलोकन किया।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 31.3.2025 से जेल में है और आरोप तय किए जा चुके हैं, उसे लंबे समय तक जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे जेल में रखने के बजाय विचारण की कार्यवाही में तेज़ी लाना उचित होगा। इसलिए, संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह छह महीने के भीतर विचारण पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. पक्षों के अधिवक्तागण के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए सबूतों और आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इसे ज़मानत देने के लिए उपयुक्त वाद मानती है। इसलिए, ज़मानत आवेदन **स्वीकृत** की जाती है।

8. उक्त वाद में शामिल **आवेदक - शैलेश उपाध्याय** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

(i). आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii). ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

9. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो संबंधित न्यायालय आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित कठोर कदम उठाने और/या कानून के अनुसार उसे दी गई ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी। ज़मानत बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का उचित सत्यापन करेगी।

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

मुकेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”